



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में,

मे0 श्री साई बाबा इन्फा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0
निदेशक श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह,
एच0आई0जी-5, अशोक बिहार कालोनी, फेज-2,
पहड़िया, वाराणसी।

पत्रांक : 45/168/विन्यास/वि0प्रा0/विन्यास/2017-18 दिनांक : 23-10-17

विषय- आराजी सं0-245पार्ट, 247 पार्ट, 258 पार्ट, 304 पार्ट, 306 पार्ट, 301 व 303 पार्ट एवं खसरा सं0-302, मौजा-लुच्चेपुर, परगना-अठगोंवा, वार्ड-शिवपुर, वाराणसी पर 'साई गॉव' नाम से प्रस्तुत शासन की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत (समाजवादी आवास योजना) निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवास बन्धु, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र सं0-1999/आ.ब.-1/स0आ0यो0-डी.पी.आर./2016 दिनांक 30.11.2016 जिसकी प्रतिलिपि आप को भी प्रेषित है का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के क्रम में उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.10.2017 को शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। औपचारिकताओं एवं शर्तों के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं शपथ पत्रों के अधीन उपरोक्तानुसार शासन द्वारा स्वीकृत "साई गॉव" के निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वीकृति में अनुबन्धित नियम एवं शर्तों के विपरीत किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा कृत्य किये जाने पर आपके विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

जोनल अधिकारी।